न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार (छ०ग०)

जमानत याचिका क्रमांक–872/2022
संस्थित दिनांक–14/10/2022
थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार
अपराध क्र.–836/2022
CIS No.–872/2022

प्रेमचंद पिता सहेत्तर बंजारे, उम्र 42 वर्ष
निवासी ग्राम–रिसदा, थाना बलौदाबाजार
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) .....**आवेदक/अभियुक्त**

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली बलौदाबाजार,
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा छ०ग० .....**अनावेदक/अभियोजक**

जमानत याचिका अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में पारित आदेश दिनाँक 17/10/2022 की सत्यप्रतिलिपि।

17.10.2022 आवेदक/अभियुक्त प्रेमचंद न्यायिक अभिरक्षा में है, उसकी ओर से श्री नीरज ठाकुर अधिवक्ता।

राज्य द्वारा लोक अभियोजक श्री समीर अग्रवाल उपस्थित ।

थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार से केस डायरी प्राप्त हुआ।

आवेदक/अभियुक्त को थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार के अपराध क्रमांक–836/2022, अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप में अभिरक्षाधीन होना बताते हुए उसे जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गई है।

आवेदन के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से लाकेश बंजारे द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें व्यक्त किया गया है कि उक्त प्रकरण में यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी सक्षम न्यायालय अथवा माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में कोई भी नियमित जमानत आवेदन लंबित नहीं है और न ही निरस्त किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन में जमानत हेतु यह आधार लिया गया है कि– आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार के द्वारा अपराध क्र.–836/2022 अंतर्गत धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 13.10.2022 को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां

से उसे अपराध की गंभीरता को देखते हुए उपजेल बलौदाबाजार में निरूद्ध रखा गया है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में संदेह के आधर पर झूठा फंसाया गया है , उससे कोई शराब की जप्ती नहीं हुआ है तथा उसके द्वारा किसी प्रकार का मदिरा का क्रय –विक्रय नहीं किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त पर आरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है। आवेदक/अभियुक्त अपने परिवार का मुखिया है एवं अपने परिवार का पालन पोषण करता है जिसके जेल में चले जाने से उनके परिवार वालों को आर्थिक कथिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । आवेदक /अभियुक्त ग्राम रिसदा, थाना बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार छ.ग. का स्थायी निवासी है, जहाँ पर उसकी चल एवं अचल संपत्ति स्थित है, ऐसी स्थिति में उसके कहीं अन्यत्र फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक /अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है । आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के हर आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने को तैयार है। उक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने की याचना की गई है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया है।

जमानत आवेदन पर उभयपक्षों का तर्क श्रवण किया गया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

थाना कसडोल के अपराध क्र. 836/2022 की केस डायरी के अनुसार घटना दिनाँक **13.10.2022** को थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार पुलिस को शराब, जुआ रेड कार्यवाही के दौरान जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम रिसदा का रहने वाला प्रेमचंद बंजारे अपने घर में हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु अवैध रूप से रखा है , उक्त सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ घटना स्थल पहुंचकर घेरा बंदी कर अभियुक्त प्रेमचंद बंजारे के कब्जे से दो पीले रंग के प्लास्टिक डिब्बे में 5.00–5.00 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब कुल **10.00 बल्क लीटर** शराब जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया । आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे दिनाँक 13.10.2022 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनाँक 13.10.2022 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल बलौदाबाजार भेजा गया है एवं प्रकरण की शेष विवेचना की जा रही है।

केस डायरी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त दिनांक 13.10.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है तथा **मुख्य** न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। केस डायरी से इस अपराध के अलावा आवेदक/अभियुक्त की अन्य और अपराधों में संलिप्त होना परिलक्षित नहीं होता है।

अतः शराब की मात्रा तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों पर विचारोपरांत

आवेदक /अभियुक्त प्रेमचंद बंजारे की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. **स्वीकार** कर आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त द्वारा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि योग्य राशि 20,000/–₹ की एक सक्षम जमानत तथा इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत किया जाए तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत का लाभ प्रदान किया जावे–

शर्ते–

(1) आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

(2) आवेदक/अभियुक्त संबंधित न्यायालय द्वारा आदेशित तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा और विवेचना/जाँच/विचारण में सहयोग करेगा।

(3) आवेदक/अभियुक्त समरूप अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और अन्य किसी अपराधिक कृत्य में संलिप्त नहीं होगा।

आवेदक/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह **माननीय छ.ग.उच्च न्यायालय बिलासपुर के सी.आर.एम.पी. क्रमांक 62/2018 वेदप्रकाश विरूद्ध छ.ग.राज्य** में पारित आदेश दिनांक 01.02.2018 में दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार जमानत एवं बंधपत्र प्रस्तुत करें।

आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को पालनार्थ प्रेषित की जाए।

आदेश की प्रति केस डायरी के साथ संलग्न कर, संबंधित थाना को वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जाए।

सही/–

(विजय कुमार एक्का)

सत्र न्यायाधीश,

बलौदाबाजार (छ.ग.)